(d) the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (d) No, Sir. As per the State Government of Punjab, 14 out of 15 sugar mills in Cooperative Sector in Punjab are in operation at present. Only one sugar mill has not run for two seasons due to various reasons.

बाल श्रमिकों के नियोजन में वृद्धि

1130. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991 से बाल श्रमिकों के नियोजन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस अवधि के दौरान समाज पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों का मूल्यांकन किया है;

(घ) बाल श्रमिकों के नियोजन को कम करने के लिए क्या-क्या विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) क्या सरकार बाल श्रमिकों के नियोजन के संदर्भ में एक राष्ट्रीय नीति घोषित करने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (ग) बाल श्रम संबंधी प्रामाणिक आंकड़े दस-वर्षीय जनगणना के आधार पर सृजित किए जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बालकों की संख्या 13.6 मिलियन थी। 1987-88 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 43वें दौर में बाल कर्मकारों की संख्या 17.02 मिलियन आंकी गयी है। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम संबंधी आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।

अनेक सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण बाल श्रम प्रथा की बुराइयां विद्यमान और जारी हैं। जबकि कोई व्यवस्थित मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है, सामान्य तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि बाल श्रम एक अनिष्टकारी प्रथा, बाल्यावस्था के आनन्द से वंचित करने वाली और सामाजिक अवसरों (जैसे शिक्षा) तक पहुंचने में रूकावट पैदा करने वाली प्रथा है जो यदा कदा बालकों के व्यक्तित्व और कृतित्व तथा मानव जीवन के विकास और पूर्ण विकास के मार्ग में आड़े आती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अनुसार, बाल श्रम से (क) विधान; (ख) बालकों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों; और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से निपटा जा रहा है।

एक व्यापक कानून अर्थात् बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का उद्देश्य 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करना है। बालकों के हित की रक्षा करने के अलावा, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन (कर्मकार) अधिनियम, 1961 आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों में संरक्षात्मक उपबंध विहित हैं। सरकार का दृष्टिकोण कानून के बाल श्रम संबंधी सभी उपबंधों को सामंजस्यपूर्वक कार्यान्वित करना है।

वर्तमान में, सरकार, जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम, जो अनुमानतः 20 लाख है, का सन् 2000 तक उन्मूलन करने के कार्य में लगी हुई है। अभी तक 2270 विशेष स्कूलों, के माध्यम से लगभग 1.36 लाख बालकों को शामिल करने के लिए 70 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है, जिनमें उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख और वजीफा आदि मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा, बाल श्रम की बुराई के विरूद्ध व्यापक जागरुकता सृजन अभियान भी शुरू किया गया है।

P.F. Scam in Inter-State Board for Anglo-Indian Education, Delhi

1131. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether a Member of Parliament has written to Government regarding provident fund scam in Inter-State Board for Anglo-Indian Education, Delhi; if so, the details thereof;

(b) what action has been taken in this regard since then;

(c) whether any probe has been ordered; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.